भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण
24, तिलक मार्ग, नई दिल्ली
एनएमए की 497वीं आरजीपी बैठक का कार्यवृत्त
स्थान-तक्षशिला सम्मेलन कक्ष, एनएमए
दिनांक और समय- 22 अक्तूबर, 2025 पूर्वाह्न 11:30 बजे
*****

बैठक में निम्नलिखित ने भाग लिया:

1. श्री टी.एन. तिवारी, पूर्णकालिक सदस्य, एनएमए - (एनएमए नियम, 2011 के नियम 13 के तहत **अध्यक्ष**)
2. श्री भास्कर वर्मा, सदस्य सचिव, एनएमए
3. कर्नल सव्यसाची मारवाहा, निदेशक, एनएमए

कार्यसूची 01

496वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

कार्यसूची 02

ऑनलाइन नए मामले

मामला संख्या 01

(जेनिथ आर्किटेक्चर एंड कंस्ट्रक्शन अपने पार्टनर श्री अब्दुल नदीम के माध्यम से, व्हाइटलैंड कंस्ट्रक्शन श्री आसिफ खान के माध्यम से, एलायंस कंस्ट्रक्शन अपने पार्टनर श्री अब्दुल नदीम, अब्दुल नदीम, आसिफ खान, नज़िया और रूमाना के माध्यम से, 632, आंग महल गंज, मीर खान दरिया गंज, दिल्ली)

आवेदन के अवलोकन के बाद प्राधिकरण ने संपत्ति संख्या - 4351, प्लॉट नंबर - 9, वार्ड नंबर - XI, 4-सी, मदन मोहन स्ट्रीट, अंसारी रोड दरिया गंज, नई दिल्ली में 17.90 मीटर (मम्टी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर रूम, मशीन रूम, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली आदि सहित) की ऊंचाई के साथ बेसमेंट + स्टिल्ट + जीएफ + 3 मंजिलों के साथ बेसमेंट = स्टिल्ट = जीएफ = 1एफ = 2एफ = 3एफ = 131.53 वर्गमीटर और बेसमेंट गहराई = 02.89 मीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति प्रदान करने की सिफारिश निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

क) आवेदक को सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों का पालन करना चाहिए,

ख) आवेदक को निर्माण शुरू होने से पहले संबंधित प्राधिकारियों से सभी अपेक्षित/आवश्यक मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए;

ग) आवेदक को निर्माण के लिए और निर्माण के दौरान स्थानीय भवन उपनियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए;

घ) आवेदक को निर्माण पूरा होने के बाद संबंधित स्थानीय निकाय से आवश्यक अधिभोग-सह-पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए; तथा

ड़) आग और सुरक्षा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवेदक को भवन उपनियमों के तहत जहां भी आवश्यक हो, अग्नि विभाग की मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए।

च) बेसमेंट का निर्माण भूमि उपयोग और संबंधित स्थानीय भवन उप-नियमों/क्षेत्रीय विकास योजना के तहत निर्दिष्ट अन्य प्रावधानों के अनुसार होना चाहिए और पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि सतह जल निकासी बेसमेंट में प्रवेश न करे।

<u>मामला संख्या 02</u>

(श्रीमती विद्युत लता कपूर, श्रीमती गौरी खन्ना, श्रीमती सुजाता बहल और श्री वेणु गोपाल कपूर, प्लॉट नंबर 102, ब्लॉक नंबर - 171 सुंदर नगर, नई दिल्ली में स्थित)

आवेदन के अवलोकन के बाद प्राधिकरण ने प्लॉट नंबर 102, ब्लॉक नंबर - 171 सुंदर नगर, नई दिल्ली में 10.50 मीटर (मम्टी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर रूम, मशीन रूम, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंट हाउस, टेरेस गार्डन की संरचनाएं आदि) की ऊंचाई के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ जीएफ = 1एफ = 252.29 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति प्रदान करने की सिफारिश निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

क) आवेदक को सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों का पालन करना चाहिए,

ख) आवेदक को निर्माण शुरू होने से पहले संबंधित प्राधिकारियों से सभी अपेक्षित/आवश्यक मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए;

ग) आवेदक को निर्माण के लिए और निर्माण के दौरान स्थानीय भवन उपनियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए;

घ) आवेदक को निर्माण पूरा होने के बाद संबंधित स्थानीय निकाय से आवश्यक अधिभोग-सह-पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए; तथा

ड़) आग और सुरक्षा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवेदक को भवन उपनियमों के तहत जहां भी आवश्यक हो, अग्नि विभाग की मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए।

<u>मामला संख्या 03</u>

(श्री कुल भूषण अरोड़ा, श्री रवि शंकर अरोड़ा और श्री गगन अरोड़ा, 1-36, रूप नगर, दिल्ली)

आवेदन के अवलोकन के बाद प्राधिकरण ने प्लाट नं. 1-36 (मुख्य सड़क की ओर अग्रभाग), रूप नगर, दिल्ली-110007 में 18.00 मीटर (मम्टी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर रूम, मशीन रूम, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंट हाउस, टेरेस गार्डन की संरचनाएं आदि) की ऊंचाई के साथ स्टिल्ट + जीएफ + 3 मंजिलों के साथ स्टिल्ट = जीएफ = 1एफ = 2एफ = 3एफ = 87.222 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति प्रदान करने की सिफारिश निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

क) आवेदक को सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों का पालन करना चाहिए,

ख) आवेदक को निर्माण शुरू होने से पहले संबंधित प्राधिकारियों से सभी अपेक्षित/आवश्यक मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए;

ग) आवेदक को निर्माण के लिए और निर्माण के दौरान स्थानीय भवन उपनियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए;

घ) आवेदक को निर्माण पूरा होने के बाद संबंधित स्थानीय निकाय से आवश्यक अधिभोग-सह-पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए; तथा

ड़) आग और सुरक्षा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवेदक को भवन उपनियमों के तहत जहां भी आवश्यक हो, अग्नि विभाग की मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए।

<u>मामला संख्या 04</u>

(श्री प्रेमिंदर सिंह, प्रोपराइटर रीगल बिल्डिंग अपने किरायेदार मेसर्स डीलक्स स्टोर (पार्टनर श्री सुशील वाही), यू-26/10, एफएफ, व्हाइट टाउन हाउस, डीएलएफ-3, नाथू पुर (67), गुड़गांव, हरियाणा-122002) के माध्यम से

आवेदन के अवलोकन के बाद प्राधिकरण ने मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया और आवेदक को प्रस्तावित कार्य पर प्राधिकरण के समक्ष भौतिक प्रस्तुति देने के लिए कहा।

<u>ऑफलाइन नए मामले</u>

<u>मामला संख्या 05</u>

(श्री राहुल आनंद, श्रीमती मंजू शर्मा, सुश्री सोनाली शर्मा और श्रीमती शालिनी शर्मा, संपत्ति संख्या ई-37, पंचशील पार्क, नई दिल्ली)

आवेदन और सक्षम प्राधिकारी एनसीटी दिल्ली द्वारा अग्रेषित अधीक्षण पुरातत्वविद् एएसआई दिल्ली सर्कल के दिनांक 30.09.2025 के पत्र सं. एफ.सं. डीसी/11/18/2024-यू/सी-8247 तहत भेजी गई रिपोर्ट जिसमें यह सूचना उपलब्ध कराई गई थी कि रिट याचिका (सी) 11876/20 दिनांक 23.03.2023 (अराधना विक्रम सिंह और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य) में दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय के आदेश में स्वीकार किए गए मानदंड के अनुसार सिरी फोर्ट वाल्स से संपत्ति संख्या ई-37, पंचशील पार्क नई दिल्ली की सबसे कम दूरी 205.74 मीटर है, के अवलोकन के बाद प्राधिकरण ने संपत्ति संख्या ई-37, पंचशील पार्क, नई दिल्ली में 18.00 मीटर (मम्टी, पैरापेट, वाटर स्टोरेज टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सोलर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंटहाउस, टेरेस गार्डन की संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ बेसमेंट + स्टिल्ट + जीएफ + 3 मंजिलों के साथ बेसमेंट = स्टिल्ट = जीएफ = 1एफ = 2एफ = 3एफ = 156.15 वर्गमीटर और बेसमेंट गहराई = 03.50 मीटर के तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति प्रदान करने की सिफारिश निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

क) आवेदक को सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों का पालन करना चाहिए,

ख) आवेदक को निर्माण शुरू होने से पहले संबंधित प्राधिकारियों से सभी अपेक्षित/आवश्यक मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए;

ग) आवेदक को निर्माण के लिए और निर्माण के दौरान स्थानीय भवन उपनियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए;

घ) आवेदक को निर्माण पूरा होने के बाद संबंधित स्थानीय निकाय से आवश्यक अधिभोग-सह-पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए; तथा

ड़) आग और सुरक्षा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवेदक को भवन उपनियमों के तहत जहां भी आवश्यक हो, अग्नि विभाग की मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए।

च) बेसमेंट का निर्माण भूमि उपयोग और संबंधित स्थानीय भवन उप-नियमों/क्षेत्रीय विकास योजना के तहत निर्दिष्ट अन्य प्रावधानों के अनुसार होना चाहिए और पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि सतह जल निकासी बेसमेंट में प्रवेश न करे।

<u>ऑफलाइन अनुपालन मामला</u>

<u>मामला संख्या 06</u>

(श्री भूपिंदर सिंह सदाना, एस-323, पंचशील पार्क, नई दिल्ली)

आवेदन के अवलोकन के बाद प्राधिकरण ने एस-323 पर, पंचशील पार्क, नई दिल्ली में 18.00 मीटर (मम्टी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर रूम, मशीन रूम, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंट हाउस, टेरेस गार्डन की संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ बेसमेंट + स्टिल्ट + जीएफ + 3 मंजिलों के साथ बेसमेंट = स्टिल्ट = जीएफ = 267.03 वर्गमीटर, 1एफ = 2एफ = 3एफ = 224.40 वर्गमीटर और बेसमेंट गहराई = 04.00 मीटर के तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति प्रदान करने की सिफारिश निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

क) आवेदक को सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों का पालन करना चाहिए,

ख) आवेदक को निर्माण शुरू होने से पहले संबंधित प्राधिकारियों से सभी अपेक्षित/आवश्यक मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए;

ग) आवेदक को निर्माण के लिए और निर्माण के दौरान स्थानीय भवन उपनियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए;

घ) आवेदक को निर्माण पूरा होने के बाद संबंधित स्थानीय निकाय से आवश्यक अधिभोग-सह-पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए; तथा

ड़) आग और सुरक्षा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवेदक को भवन उपनियमों के तहत जहां भी आवश्यक हो, अग्नि विभाग की मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए।

च) बेसमेंट का निर्माण भूमि उपयोग और संबंधित स्थानीय भवन उप-नियमों/क्षेत्रीय विकास योजना के तहत निर्दिष्ट अन्य प्रावधानों के अनुसार होना चाहिए और पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि सतह जल निकासी बेसमेंट में प्रवेश न करे।